FORM NO - III

फर्द अहकार

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 12/22...........

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

....

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर .... सन् 2021

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.22	तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम **रलावता** तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के **निजी खातेदारी भूमि** खसरा नम्बर 696 रकबा 3.7619 किस्म बारानी–। 3.4706 हैक्टेयर व बारानी–2 0.2913 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0480 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का **रलावता** परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। **प्रकरण में मौका निरीक्षण नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय किशनगढ़ अनुसार मौके पर प्रस्तावित खसरा नम्बर में बना कच्चा रास्ता सार्वजनिक उपयोग में नहीं आकर खातेदारी भूमि के आवागमन के उपयोग में आना प्रतीत होने से** तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	